ries are pending finalisation in the Office of Development Commissioner (Handicrafts). The dates from which these are pending are as under:—

Sl. No.	Date from which pending
1.	23-4-85
2.	25-9-85
3.	3-3-86
4.	4-8-86
5.	22-9-87
6.	23-9-87
7.	23-9-87
8.	12-1-88
9.	12-1-88
10.	12-1-88
11.	12-1-88
12.	12-4-88
13.	4-10-88
14.	4-10-88
15.	25-10-88
16.	28-10-88
17.	21-11-88
18.	17-5-89
19.	26-10-89
20.	8-11-89
21.	12-12-89

(b) The reasons for dealy on the departmental enquiries includes:

1. Pending concurrence of UPSC for imposition of penalties

2. Enquiry proceedings in progress with Central Vigilance Commission

3. Changes in Enquiry Officers due to unavoidable reasons such as transfer, retirement, etc.

4. Request for time and opportunity by Charged Officers.

5. Examination of witnesses and completion of *quasi-judicial* formalities.

Yes Sir, it is ensured that no charged officials are harassed by Enquiry Officers.

(c) Pending cases are periodically reviewed and Enquiry Officers reminded to finalise the enquiries within the stipulated period.

मिश्र धातु इस्पात संयंत्र दुर्गापुर द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र से कार्य का आवंटन

1864. श्री राम कृपाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के प्रबंधक बोकारो इस्पात संयंत्र से लाए गए स्क्रैप के प्रसंस्करण का कार्य केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फैरो स्क्रैप निगम से न कराकर बोकारो स्थित एस० आर० सिंडीकेट नामक एक गैर-सरकारी फर्म से कराते हैं जबकि इस निगम के पास प्रसंस्करण के लिये बेहतर मशीनें और पर्याप्त जनशक्ति है और इस समय उसके पास काम की कमी भी है; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" में हो, तो सरकार मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर को फरवरी, 1986 के दौरान बोकारो इस्पात

कारखाने से मैसर्स फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जो भारत सरकार का उपक्रम है, के यहां लाये गये स्क्रैप को संसाधित करने सम्बन्धी कार्य का ठेका दिया गया था परन्तु संसाधन कार्य में प्रगति तथा निष्पादन और यातायात संतोषप्रद नहीं था जिसके परिणामस्वरूप मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादन अनुरक्षण में कठिनाई हुई ।

जब फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड संविदागत कार्य निष्पादन का सुनिश्चय नहीं कर सका तो मिश्र इस्पात कारखाने के प्रबन्धन ने स्थिर गति से उत्पादन को बनाये रखने के लिए इस्पात स्क्रैप के संसाधन तथा परिवहन के लिए सामान्य निविदा संबंधी प्रक्रियाओं का अनुरक्षण करने के पश्चात् स्थानीय रूप से कार्य कर रहे दो ठेकेदारों नामतः मैसर्स एस०आर० सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स पवन इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को इस कार्य में लगाने का निर्णय लिया । इन दोनों पार्टियों का कार्य निष्पादन मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा संतोषप्रद पाया गया है ।

सरकार की नीति के अनुसार जब भी कभी मेसर्स फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड स्क्रैप को संसाधित करने तथा मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर की आवश्यकतानुसार स्क्रैप की सप्लाई करने के अनुकूल अपने को तैयार कर लेगा तो इस कार्य में उसे ही लगाने की तरजीह दी जाएगी ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Enactment of stricter laws for Fighting Drug Menace

1865. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact more stringent laws to deal with drug menace in the country as suggested by Justice Lentin of the Bombay High Court; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) The Government do not propose enactment of more stringent laws to deal with drug menace in the country as suggested by Justice Lentin as reported in the Indian Express dated 2nd July, 1990, since many of his suggestions have already become law, as the Narcotic Drugs & Psychotropic Sub-stances Act, provides for:—

(i) setting up of special Courts for the trial of offences under the Act;

(ii) strict bail provisions relating to offences committed under the Act;

(iii) death penalty in certain cases of second conviction; and

(iv) forfeiture of property derived from, or used in illicit traffic.

Financial assistance to spices board

1866. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the amount earmarked for the Spices Board is likely to be increased in the wake of the decision to bring various spices along with cardamom under the Board; and

(b) if so, what are the details there of and what are the schemes for the exclusive promotion of cardamom production?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) and (b) At present, the Spices Board looks after only the export of all spices. For cardamom, the Spices Board is futher entrusted with responsibilities relating to domestic production. There is no decision to bring any other item